

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुकम तामील नंबर व तारीख
3/12/19	<p>पत्रावली पेशा हुई। प्रकरण में मूल वाद सं० 89/2012 वादी वकील द्वारा नोट पेश करने से वाद खारिज किया गया था। बाद खारिज हो जाने से राजस्व विविध अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act में पत्रावली को आगे चलाने का कोई मौखिक नहीं रहता है अतः प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुनार होकर नम्बर से क्या हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(2)</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)</p>	

